FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मनोज कुमार शर्मा बनाम [illegible]

म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act नं. 69 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/02/2021	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वकील प्रार्थी उप0। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली 23.02.2021 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
23/02/2021	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामिल अनु0 अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03.03.2021 को पेश है।	
03-03-2021	पत्रावली आज वास्ते निर्ण[illegible] पेश [illegible] वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी [illegible] चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी [illegible] को दोहरान करते हुए कथन [illegible] कि प्रार्थी [illegible] सही नाम मनोज कुमार शर्मा पुत्र बजरंगलाल है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन [illegible] गलत नाम द्वारका पुत्र बजरंगलाल दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व अहकाम जो की तामील
	जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम द्वारका पुत्र बजरंगलाल अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम मनोज कुमार शर्मा पुत्र बजरंगलाल है की पुष्टि पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जिनमें सही नाम है से होती है। प्रार्थी के स्वयं व गवाहान के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (ब्रजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) **आदेश** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम जस्सी का बास स्थित भूमि खाता संख्या 103, 121, 104, 153 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में द्वारका पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर मनोज कुमार शर्मा पुत्र बजरंगलाल दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (ब्रजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:55 IST
Reason: SelfAttested